

प्रेषक

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—अ०नि०/य०आई०पी०/आर.आई./2017-18/

दिनांकः 27 जुलाई, 2017

विषय— नियमित टीकाकरण कार्यक्रम 2017-18 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य एवं वित्तीय दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक टीका रोधक बीमारियां (Vaccine Preventable Diseases) हैं, जिनको नियमित टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में समस्त विभागीय एवं अन्य सहयोगियों के प्रयासों से, पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ए०एच०एस० वर्ष 2012-13 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 52.7 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में डब्ल्यूएच०ओ०/यूनीसेफ मॉनीटरिंग डेटा के अनुसार 74 प्रतिशत, एन०एफ०एच०एस०-४ के अनुसार 51.10 प्रतिशत एवं RICA 2015-16 के अनुसार 60.50 प्रतिशत रहा है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 9 जानलेवा बीमारियों (टी०बी०, डिफ्टीरिया, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हैपेटाइटिस-बी तथा हिब-निमोनिया) से बचाव हेतु बच्चों को बी०सी०जी०, हैपेटाइटिस-बी, पोलियो, पेन्टायेलेन्ट, एफ०-आई०पी०वी०, मीजिल्स, तथा डी०पी०टी० के टीके दिये जाते हैं साथ ही मीजिल्स के साथ विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है तथा गर्भवती महिलाओं को टी०टी० का टीकाकरण किया जाता है। जैपनीज इन्सेफलाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के 38 संवेदनशील जनपदों में जे०ई० टीकाकरण नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जे०ई० वैक्सीन की दो डोज (9-12 माह प्रथम एवं 16-24 माह द्वितीय डोज) नियमित रूप से दी जा रही है।

मात्र प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति इनिशिएटिव के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं कि दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक किया जाये, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा देश के 118 जनपदों एवं 17 शहरी क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 52 जनपद एवं 8 शहरी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

इसके संबंध में शहरीय क्षेत्रों के मलिन बरितयों एवं कम उपलब्ध वाले चिन्हित जनपदों में विशेष कार्ययोजना तैयार की जाये। प्रदेश में सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान आगामी माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 में किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार 10 जून, 2017 से प्रदेश के 6 जनपदों (सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर एवं लखीमपुर खीरी) में पी०सी०वी० (न्यूमोकोकल कन्जूगेट वैक्सीन) टीकों को शामिल किया गया है।

नियमित टीकाकरण कार्ययोजना (माइक्रोप्लान):-

(क) उपकेन्द्र हेतु माइक्रोप्लान—

- नियमित टीकाकरण के लिए उपकेन्द्रवार कार्ययोजना पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के आधार पर बनायीं जाए तथा प्रति तिमाही पर कार्ययोजना को अद्युनान्त करा जाए।
- उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों-मजरों, टोलों एवं अन्य आबादी क्षेत्रों की सूची सभी हाई रिस्क समूह (HRG) को चिन्हित करते हुए बनाई जाय।
- सभी सूचीबद्ध क्षेत्रों की कुल वास्तविक जनसंख्या हेड काउंट के आधार पर दिखाई जाय।
- उपकेन्द्र पर यदि एक से अधिक ए०एन०एम० तैनात हैं तो उनका अलग-अलग टीकाकरण क्षेत्र चिन्हित कर विभाजित किया जाय। इसी प्रकार समस्त ग्राम मंजरों में आशा कार्यकारी का कार्यक्षेत्र चिन्हित किया जाय तथा एक से अधिक आशाओं के मध्य क्षेत्र वितरण पोलियो माइक्रोप्लान की मदद से सुनिश्चित किया जाय।
- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की वार्षिक एवं मासिक संख्या का आंकलन, आशा ट्रेकिंग बुकलेट अथवा वी०एच०आई०आर० की मदद से वास्तविक हेड काउंट के आधार पर लिखी जानी है।

- प्रत्येक वैक्सीन एवं विटामिन 'ए' हेतु कुल मासिक लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की गणना करें।
- लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या के अनुसार वैक्सीन वायल एवं विटामिन 'ए' की शीशियों की संख्या की मासिक आवश्यकता लिखें।

सत्रों की संख्या का आंकलन: (याद रखें गांवों एवं मजरों में सत्रों की संख्या का आंकलन इंजेक्शन की संख्या/लोड के आधार पर ही कि या जाना है।)

आउटरीच सत्रों (कोल्ड चेन/आई0एल0आर0 प्वाइंट से दूर) के लिये मानक:	
25 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
25 से 50 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
50 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

दुर्गम एवं ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो वहां कम से कम एक वर्ष में 4 सत्रों का आयोजन किया जायेगा।

फिर्स्ट साइट (पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 / कोल्ड चेन/आई0एल0आर0 प्वाइंट) पर सत्रों के लिये मानक:	
40 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
40 से 70 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
70 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

- इंजेक्शन लोड आदि की गणना हेतु माइक्रोप्लान के प्रपत्रों की गणना युक्त साफ्ट कापी उपलब्ध करा दी गयी है साथ ही जिला चिकित्सा संचय/मेडिकल कालेज में प्रतिदिन टीकाकरण सत्र कराना सुनिश्चित करें।
- उपकेन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर) बनाकर सम्बन्धित गांवों एवं मजरों के नाम और वहां आयोजित होने वाले सत्रों का दिन लिखें।
- उपकेन्द्र का नक्शा बनाए जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र (कोल्ड चेन) से दूरी, उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गांवों एवं मजरों के नाम एवं दूरी, टीकाकरण दिवस, जनसंख्या एवं लाभार्थी संख्या लिखें।
- ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आने वाले लाभार्थीयों की संख्या अधिक हो, उन लाभार्थीयों हेतु प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजित करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक सत्र पर सम्बधित हाई रिस्क समूह (HRG) क्षेत्र की टैगिंग सुनिश्चित करी जाय, उपकेन्द्र के अन्तर्गत अत्यन्त छोटे-छोटे मजरों को भी सत्रवार टैग कर लिया जाय तथा मिशन इन्ड्रधनुष के अन्तर्गत लगाये गए अतिरिक्त सत्रों को नियमित टीकाकरण कार्ययोजना में शामिल किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) ब्लाक पर माइक्रोप्लान बनाने के निर्देश—

- प्रत्येक ब्लाक का नक्शा बनाया जाये तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, एवं सभी गांवों को दर्शाया जाय।
- ब्लाक के सभी गांवों, मजरों एवं शहरी क्षेत्रों को माइक्रोप्लान में शामिल किया जाये और कोई भी क्षेत्र इस प्रक्रिया से छूटे नहीं, सुनिश्चित करने हेतु इसको पोलियो माइक्रोप्लान से मिलान किया जाय तथा यह भी ध्यान रहे कि सत्रों का आयोजन मानक के अनुसार ही हो।
- नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन कार्ययोजना के अनुरूप "निश्चित दिवस एवं निश्चित स्थान" जैसे उपकेन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सामुदायिक स्थान जहां ज्यादा संख्या में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं लाभान्वित हो सके, पर किया जाय।
- टीकाकरण सत्रों के शत्-प्रतिशत् आयोजन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन (स्वास्थ्य कार्यकर्त्री) एवं कार्य दिवसों के आधार पर वैकल्पिक सत्र व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। अगर किसी सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से सत्र आयोजित नहीं हो सके तो ऐसी स्थिति में प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी छूटे हुए सत्रों की वैकल्पिक कार्ययोजना बनाकर पूर्ण टीकाकरण करायें। माह के अन्तिम सप्ताह में विशेष कार्ययोजना बनाकर छूटे हुए सत्रों के लिये कार्ययोजना बना कर टीकाकरण पूर्ण कराया जाये।

- मिशन इन्डधनुष के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले अतिरिक्त सत्रों (दुर्गम क्षेत्र, रिक्त उपकेन्द्र, छूटे हुये मजरे एवं घूमन्तु आबादी वाले क्षेत्र) को नियमित टीकाकरण कार्ययोजना में शामिल कर पूरे क्षेत्र को आच्छादित किया जाय। इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए मोबाइल टीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु मोबाइल टीम कार्ययोजना में प्रत्येक स्थल के लिए पुथक से वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक का इंतजाम करा जाए।
- ब्लाक स्तर पर कोल्ड चेन प्लाइट से सत्र स्थल तक वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक पहुंचाने की व्यवस्था आल्टर्नेट वैक्सीन डिलीवरी (ए०वी०डी०) के माध्यम से इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए, वैक्सीन की आपूर्ति 1 घंटे के भीतर, प्रत्येक स्थल तक की जा सके। इस कार्य हेतु किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कार्ययोजना में उनका नाम एवं मोबाइल नं० अंकित किया जाये।
- प्रत्येक सत्र हेतु गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण ए०एन०एम०/आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यक्रमी के सहयोग से कराया जाये तथा उसके अनुरूप वैक्सीन एवं अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यक मात्रा का सही रूप से आंकलन कर प्रत्येक सत्र हेतु उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जाए।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार शहरी मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्र में 10,000 की जनसंख्या में प्रति माह 4 टीकाकरण सत्र आयोजित किये जाने हैं। शहरी क्षेत्र में तैनात नियमित ए०एन०एम०/एल०एच०वी० का आंकलन कर कार्ययोजना तैयार कर लें, इसके अतिरिक्त एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट पर कार्यरत ए०एन०एम० की सेवायें भी ली जायें।
- प्रदेश के 3 शहरीय क्षेत्रों (मेरठ, कानपुर नगर एवं बहराइच) की मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्र हेतु जहाँ शहरी स्वास्थ्य मिशन के अनर्तगत पर्याप्त ए०एन०एम० कार्यरत नहीं हैं वहाँ पर Hired वैक्सीनेटर के माध्यम से टीकाकरण कार्ययोजना तैयार करते हुये टीकाकरण कराया जाये।

(ग) MCTS Generated work Plan

प्रत्येक सत्र हेतु ए०एन०एम०, आशा एवं आंगनवाड़ी के सहयोग से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण कर "मातृ एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर" (आर०सी०एच० रजिस्टर) में अंकित करेंगी। ए०एन०एम० द्वारा अपने उपकेन्द्र की गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की सूची बनाने के उपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सूची को ब्लाक स्तर पर Mother and child Tracking Software में कम्प्यूटराइज्ड कराया जायेगा तथा सत्र दिवस से पूर्व प्रत्येक ए०एन०एम० को MCTS Generated work Plan दिया जाय तत्पश्चात् प्रत्येक सत्र में ए०एन०एम० द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध करायी गयी सेवाओं को सत्र के पश्चात् एम०सी०टी०एस० में अपलोड किया जाय तथा यह प्रक्रिया प्रत्येक सत्र हेतु निरन्तर दोहरायी जाय।

1. श्रीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) रख-रखाव:-

- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर वैक्सीन भण्डारण हेतु स्थापित कोल्ड चेन उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि समस्त वैक्सीनों को सही तापमान ($+2^{\circ}$ सेल्सियस से $+8^{\circ}$ सेल्सियस) में सुरक्षित रखा जा सके।
- प्रत्येक उपकरण में भण्डारण को तापमान को थर्मामीटर से दिन में दो बार अवश्य जांच कर नवीन लॉग बुक में दर्ज किया जाय तथा वैक्सीन भण्डारण हेतु ILR का प्रयोग किया जाय। प्रत्येक कोल्डचेन पॉइन्ट पर य०एन०डी०पी० के सहयोग से टैम्प्रेचर लॉगर लगा दिये गये हैं जिसकी मॉनीटरिंग ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर प्रतिदिन करना आवश्यक है।
- वैक्सीन को सही तापमान पर रखने हेतु लगातार प्रतिदिन 8 घण्टे सही वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। जिन केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति कम हो उनको चिन्हित कर विद्युत आपूर्ति बढ़ाने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया जाय।
- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कोल्ड चेन उपकरणों के रख-रखाव, वैक्सीन भण्डारण का नियमित रूप से चिकित्साधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाय तथा प्रत्येक उपलब्ध कराई गयी नवीन लागबुक में उसे अंकित किया जाय।

- प्रदेश में वैक्सीन प्राप्त करने तथा वितरित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसी क्रम में समस्त जनपदों को नई वैक्सीन बैन उपलब्ध करायी गयी है जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाये कि जनपद से सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन का वितरण वैक्सीन डिट्रीब्यूसन प्लान के अनुसार किया जाये। महानिदेशालय परिवार कल्याण के वैक्सीन डिपो से वैक्सीन तभी मंगाई जाये जब उनके सम्बन्धित मण्डल डिपो में वैक्सीन उपलब्ध न हो। वैक्सीन का प्रबन्धन eVIN के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।
- कोल्ड चेन से वैक्सीन भेजते समय FEFO (First Expiry First out) तथा FIFO (First In First out) का पालन किया जाय। प्राथमिकता FEFO को दी जाय। वैक्सीन भण्डारण कक्ष में उपलब्ध आई0एल0आर0 में केवल नियमित टीकाकरण की वैक्सीन एवं उससे सम्बन्धित डाइल्यूएंट ही रखे जायें। टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित वैक्सीन के अतिरिक्त कोई अन्य वैक्सीन (जैसे एन्टी रेबिज वैक्सीन, एन्टी स्नैक वैनम एवं अन्य औषधियों) का भण्डारण ILR एवं डीप फ्रिजर में किसी भी दशा में न किया जाये। यदि उक्त वैक्सीन किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर पाई जाती है तो सम्बन्धित नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई होगा।
- वैक्सीन वितरण हेतु उपलब्ध कराये गए रजिस्टर एवं ANM की वैक्सीन डायरी का निर्देशानुसार समुचित उपयोग किया जाय।
- जनपद एवं ब्लाक स्तर पर उपलब्ध जेनरेटर का रख-रखाव सही रखा जाए तथा प्रत्येक जेनरेटर का जब उपयोग किया जाय तो समय का अंकन जेनरेटर की लॉग बुक में अवश्य किया जाय।
- टीकाकरण सत्रों हेतु वैक्सीन वितरण से पूर्व डीप फ्रिजर से निकालकर आईस पैकों की कन्डीशनिंग के उपरान्त ही उपयोग किया जाय।
- घोलक को (डाइल्यूएंट) वैक्सीन निर्गत होने के 24 घंटे पूर्व आई0एल0आर0 में रखा जाय ताकि वितरण के समय वैक्सीन एवं घोलक का तापमान एक समान हो।

2. ओपन वायल पालिसी:-

सभी पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 / शहरी इकाईयों के नोडल अधिकारी ओपन वॉयल पॉलिसी का कड़ाई से पालन करें, जिससे वैक्सीन का होने वाला वेस्टेज कम से कम किया जा सके। इस हेतु सभी को सी0डी0 राइटर पेन उपलब्ध कराया जाये।

- सभी वैक्सीनों पर इस्तेमाल / खोलते समय समय व तारीख अंकित करें।
- समस्त वैक्सीन (खुली वायल) डी0पी0टी0, टी0टी0, हेप बी, ओ0पी0वी0, आई0पी0वी0 पैन्टावेलेन्ट एवं पी0सी0वी0 वैक्सीन शीत श्रृंखला में वापस आयेगी तथा कोल्ड चेन प्याइंट पर लाकर चिह्नित ILR में रखी जाय।
- इन खुली वाइल को खुलने की तिथि के चार सप्ताह तक उपयोग किया जा सकता है (दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत) तथा बिना रैपर, बिना तारीख, समय एवं बिना VVM के वाइल का प्रयोग कदापि न करें।
- ध्यान रखें कि ओपन वाइल पॉलिसी खसरा, बी0सी0जी0 एवं जे0ई0 वैक्सीन पर लागू नहीं होती।
- टीकाकरण सत्रों पर उपयोग की गयी सभी खाली वैक्सीन वाइल इत्यादि भी कोल्ड चेन पॉइंट पर वापस आनी है उनको 48 घंटे तक चिह्नित कोल्ड बॉक्स में रखना है उसके उपरान्त नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।

3. टीकाकरण सत्र का आयोजन:-

- टीकाकरण सत्र कार्ययोजना के अनुसार आयोजित किये जायें एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक स्थिति में ब्लाक स्तर एवं सत्र स्थल पर वैक्सीन की उपलब्धता उक्त दिवस की ड्यू लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाय।
- अच्छी हालत के वैक्सीन कैरियरों को ही चुनकर उपकेन्द्रवार चिह्नित किया जाय तथा सत्रों पर वैक्सीन व डाइल्यूएंट जिपर बैग में ही भेजे जाय।
- वैक्सीन के साथ उपलब्ध कराये गये डाइल्यूएंट (बंडल्ड डाइल्यूएंट) का ही इस्तेमाल करें तथा प्रत्येक वायल में डाइल्यूएंट मिलाने के लिए अलग-अलग सिरिज का इस्तेमाल करें।

- बी०सी०जी०, मिजिल्स एवं जे०ई० वैक्सीन वाइल पर घोलने का समय अवश्य अंकित करें तथा किसी भी दशा में उपरोक्त वैक्सीन को घोलन समय से 4 घण्टे के पश्चात् इस्तेमाल न किया जाय।
 - विटामिन 'ए' की शीशी पर खोलने की तारीख अवश्य अंकित करें एवं शीशी खोलने के 8 सप्ताह के भीतर इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें।
 - टीकाकर्मी को बच्चे के टीकाकरण से पहले साथ में आये अभिभावक को सम्पूर्ण जानकारी देनी है, तत्पश्चात् वैक्सीन दी जानी है तथा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को 30 मिनट तक सत्र स्थल पर रोक कर रखना है जिससे कि टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना (AEFI) होने पर तत्काल चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जा सके एवं बच्चे का समय से उपचार किया जा सके।
4. **डिलीवरी प्लाइंट वैक्सीनेशन (प्रसव स्थल पर टीकाकरण)-**
- भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले प्रसव के उपरान्त सभी नवजात शिशुओं को 24 घण्टे के भीतर टीके (हेपेटाइटिस बर्थ डोज, ओ०पी०वी० जीरो डोज, बी०सी०जी०) दिया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रसव कक्ष के समीप स्टाफ नर्स के बैठने वाले स्थान पर एक वैक्सीन कैरियर मानकानुसार आईस पैक्स के साथ जिसमें हेपेटाइटिस बी, बी०सी०जी० एवं ओ०पी०वी० वैक्सीन उपलब्ध हों प्रतिदिन रखा जाए, एवं यथा संभव सुनिश्चित किया जाए कि प्रसवोपरान्त प्रत्यक्त नवजात शिशु को उक्त तीनों वैक्सीन की निर्धारित खुराक देने के पश्चात् ही प्रसव कक्ष से वार्ड में शिफ्ट किया जाए।
5. **बूस्टर टीकाकरण-**
- जैसा कि आप अवगत हैं कि बच्चों को टीकारोधक बीमारियों से पूर्ण बचाव हेतु सभी टीके बूस्टर डोज सहित लगाए जाने आवश्यक है। अतः अपने जनपद एवं ब्लाक स्तर पर होने वाली मासिक/त्रैमासिक बैठकों में ए०एन०एम० द्वारा बच्चों को दी जाने वाली बूस्टर खुराक की उपकेन्द्रवार समीक्षा की जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि बूस्टर खुराक (डी०पी०टी० बूस्टर एवं ओ०पी०वी० बूस्टर) एवं द्वितीय खुराक मिजिल्स-2, जे०ई०-२, में कोई गिरावट न हो।
6. **मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड तथा काउंटरफॉयल**
- यह टीकाकरण कार्ड निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है:
- यह माता-पिता को याद दिलाता है कि बच्चे को कौन-कौन से टीके दिये गये हैं और कौन से टीके बाकी हैं।
 - यह गर्भवती महिला और बच्चे की पूर्ण टीकाकरण की स्थिति जानने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करता है।

टीकाकरण कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए?

- पहली बार प्रसवपूर्व जॉच के लिए आयी गर्भवती महिलाओं को नया टीकाकरण कार्ड जारी करें।
- सभी प्रविष्टियों में तारीख, महीना व वर्ष स्पष्ट रूप से लिखें।
- कोई भी कॉलम या सैल खाली न छोड़ें।
- सभी कॉलम भर लेने के बाद कार्ड का छोटा वाला हिस्सा अर्थात् काउंटरफॉयल अपने पास रख लें।
- टीकाकरण के बाद शेष भरा हुआ कार्ड माता-पिता को दे दें और उन्हें बताएं कि जब भी वे स्वास्थ्य केंद्र आयें इस कार्ड को अपने साथ लाएं।

पुनः आने वाले लाभार्थियों के लिए

- टीकाकरण कार्ड पर एम०सी०टी०एस० नम्बर अंकित करें।
- हर खुराक के बाद सुनिश्चित करें कि माता-पिता को अगले टीके की तारीख बतायी जाए।
- मां से कार्ड संभालकर रखने के लिए कहें। उन्हें बताएं कि वे जब भी किसी उप-केंद्र या किसी टीकाकरणस्त्र स्थल पर बच्चे को लेकर आयें, यह कार्ड अवश्य साथ लेकर आएं।
- यदि अभिभावक कार्ड खो जाने की जानकारी देते हैं तो अपने टीकाकरण रजिस्टर/काउंटरफॉयल में उपलब्ध जानकारी के आधार पर नया कार्ड जारी करें।

काउंटरफॉयल

पिछले कई वर्षों में यह देखा गया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता काउंटरफॉयल को अहमियत नहीं देते हैं। वे न तो काउंटर फॉयल जारी करते हैं, न फाईल करते हैं और न ही उसे सही तरीके से संभालकर रखते हैं। यह जरूरी है क्योंकि इससे निम्नलिखित में मदद मिलती है:

- आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सामाजिक कार्यकर्ता के साथ टीकाकरण हेतु सत्र के अनुसार लाभार्थियों की नाम आधारित सूची तैयार करना।
- अगले सत्र के लिए अपेक्षित टीकों का अंदाजा लगाना।
- बीच में टीके छोड़ने वाले लाभार्थियों का पता लगाना।
- यदि लाभार्थी का टीकाकरण कार्ड खो जाता है तो उसकी जानकारी देना।

➤ हर सत्र की जगह के काउंटरफॉयल अलग-अलग फाईल करने जरूरी हैं।

- किसी लाभार्थी को जब टीका लगाया जाता है तो उसका काउंटरफॉयल जिस महीने अगली खुराक दी जाती है उस माह के नाम से रबड़ बैंड से अलग-अलग बांधकर रखा जाए।
- हर माह के काउंटरफॉयल को रबड़ बैंड से अलग-अलग बांधकर रखा जाए।
- हर सत्र स्थल के काउंटरफॉयल को सम्बन्धित आशा के पास रखें एवं उसे निर्देशित करें कि प्रत्येक माह टीकाकरण सत्र स्थल पर उसे लेकर आए।
- काउंटरफॉयल एवं रजिस्टर की मदद से टीकाकरण हेतु लाभार्थियों की ड्यू-लिस्ट बनाएं तथा टीकाकरण के लिए पात्र शिशुओं का नाम, दी जाने वाली वैक्सीन डोज के साथ लिखें।

कृपया नोट करें:

- यदि लाभार्थी आपके क्षेत्र का नहीं है, तो उसे नया कार्ड बनाकर दें और टीका लगाएं। यह जानकारी मातृ-शिशु रजिस्टर में नॉन-रेसीडेंट कॉलम में दर्ज करें।
- यदि लाभार्थी किसी निजी चिकित्सक से टीका ले रहा हो तो उसकी जानकारी भी टीकाकरण रजिस्टर और टीकाकरण कार्ड में दर्ज करें तथा तारीख के बाद 'पी' लिखें।
- टीकाकरण हेतु पात्र लाभार्थियों की नाम आधारित ड्यू-लिस्ट।

7. ए०ई०एफ०आई०:-

टीकाकरण के मध्य लाभार्थियों को टीकाकरण के पश्चात् किसी तरह की प्रतिकूल घटना (ए०ई०एफ०आई०) होने की जानकारी दी जाये। ए०ई०एफ०आई० की विस्तृत जानकारी एवं गाइड लाइन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में उपलब्ध करा दी गयी हैं तथा राज्य स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एन०एच०एम० की वेबसाइट upnrmhm.gov.in पर सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करा दी गयी है कृपया अध्ययन करने का कष्ट करें।

- टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी तरह की प्रतिकूल घटना (ए०ई०एफ०आई०) होने पर एन०एम० द्वारा तत्काल चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जाये।
- सीरियस और सीवियर ए०ई०एफ०आई० की तत्काल सूचना 24 घण्टे के भीतर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक द्वारा सी०आर०एफ० (केस रिपोर्टिंग फॉर्म) भरकर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा समिति की 24 घंटे के अन्दर बैठक कर सी०आर०एफ०(केस रिपोर्टिंग फॉर्म) की प्रति aefiindia@gmail.com, aefiup14@gmail.com एवं sepioup@gmail.com तथा संबंधित एस०एम०ओ० यूनिट के माध्यम से राज्य स्तरीय डब्लू०एच०ओ०-एन०पी०एस०पी० यूनिट पर भी भेजें एवं दूरभाष पर तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें।

- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा सी0आर0एफ0 प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर पी0सी0आई0एफ0 भरना है। तथा 70 दिनों के भीतर एफ0सी0आई0एफ0 एवं अन्य जांच/भर्ती संबंधित दस्तावेज पोस्टमार्टन रिपोर्ट आदि उपलब्ध जानकारियां उपरोक्तानुसार अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

8. टीकाकरण वेस्ट का सही निस्तारण:-

टीकाकरण सत्र स्थल पर टीकाकर्मी द्वारा प्रत्येक टीका लगाने के पश्चात् ए0डी0 सिरिज को हब कटर द्वारा काट कर सिरिज का निडिल के साथ कटा हब तथा प्लास्टिक भाग अलग करना है। हब कटर के डिब्बे में ए0डी0 सिरिज का निडिल के साथ कटा हब तथा टूटे वैक्सीन वायल एवं एम्प्यूल(Ampule)एकत्र किये जाने हैं। लाल प्लास्टिक बैग में कटी सिरिज का प्लास्टिक भाग, खाली बिना टूटी वायल तथा इस्तेमाल हो चुके रूई के फोये को एकत्र किया जाना है तथा काले प्लास्टिक बैग में सूई के कैप तथा सिरिज की पैकिंग आदि एकत्र किये जाने हैं। सत्र समाप्ति पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाकर 1 प्रतिशत् हाइपोक्लोराइट घोल में विसंक्रमित करने के पश्चात् शार्प वेस्ट (कटा हब निडिल के साथ, टूटे वायल एवं एम्प्यूल) को सेपटी पिट में निस्तारण किया जाय तथा कटी सिरिज का प्लास्टिक भाग तथा खाली बिना टूटी वायल को रिसाइकिलिंग हेतु भेजा जाय।

9. सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग:-

टीकाकरण सत्र का पर्यवेक्षण जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों, डी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम एवं बी0सी0पी0एम0 द्वारा किया जाय। प्रत्येक टीकाकरण दिवस पर चिकित्साधिकारी/अन्य अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण कम से कम 2-3 सत्र का भ्रमण करेंगे तथा सत्र स्थल पर पायी गयी कमियों या परेशानियों का तत्काल निराकरण करेंगे। सत्र स्थल का पर्यवेक्षण कर आख्या निर्धारित पर्यवेक्षण चेक लिस्ट में अंकित करें एवं सायंकालीन ब्लाक/जिला स्तरीय बैठक में पायी गयी कमियों पर विस्तार से चर्चा कर सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

10. प्रचार-प्रसार एवं सामाजिक गतिशीलता:-

वी0एच0एन0डी0 सत्र पर लाभार्थियों की शत् प्रतिशत् उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है एवं सामाजिक गतिशीलता की गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना अति आवश्यक है। वी0एच0एन0डी0 सत्र पर टीकाकरण का बैनर अवश्य लगाया जाये। प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर ऑडियो/विडियो, प्रिन्टिंग, वॉल पेन्टिंग की जाती है। टीकाकरण सत्र से एक दिन पहले आशा गाँव में लाभार्थियों के घर जा कर टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित करेंगी तथा टीकाकरण सत्र पर लाभार्थियों को लायेंगी।

11. टीकाकरण समीक्षा बैठक-

16 जनवरी, 2016 को महानिदेशालय द्वारा प्रेषित जनपद और ब्लाक स्तरीय साप्ताहिक टीकाकरण समीक्षा बैठकों संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रत्येक ANM वार ड्यूलिस्ट के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा एवं वैक्सीन वेरेटेज का आंकलन करा जाय तथा उपलब्ध मॉनिटरिंग फीडबैक एवं अन्य पर्यवेक्षण बिन्दुओं के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।

12. रिपोर्टिंग:- टीकाकरण कार्यक्रम की ब्लाक स्तर पर सत्रवार रिपोर्टिंग की जाय तथा दी गयी सेवाओं को Mother and child Tracking Software में अद्युनान्त (अपडेट) किया जाय। माह के अन्त में HMIS PORTAL पर समस्त सूचनायें समय से अपलोड की जाये।

वित्तीय दिशा—निर्देश

C.1.a Budget for Mobility Support for supervision for district level officers:- जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार की वर्ष 2017–18 की आरोगोपी० में ₹ 2,50,000/- प्रति वर्ष प्रति जनपद की दर से अनुमति प्रदान की गयी है। इसमें वाहन हेतु पी०ओ०एल० की व्यवस्था है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है।

- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की अग्रिम पर्यवेक्षण कार्ययोजना तैयार की जाय तथा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी उपलब्ध कराये गये निर्धारित पर्यवेक्षण चेक लिस्ट का उपयोग करेंगे।
- जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिवसवार क्षेत्रों में भ्रमण किये सत्रों की संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण रिपोर्ट को सत्यापित किया जाय तथा पर्यवेक्षण के दौरान पायी गयी कमियाँ एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अपर निदेशक ₹०आई०पी० को भेजी जाय। साप्ताहिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (पूर्व में प्रेषित) पर अपर निदेशक, ₹०आई०पी० को प्रत्येक सोमवार को भेजें।
- अपर निदेशक, ₹०आई०पी० जनपदों द्वारा कृत कार्यवाही की संकलित रिपोर्ट महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक एन०आर०एच०एम० को प्रस्तुत करेंगे।
- अपर निदेशक, ₹०आई०पी० माह के अन्त में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
- उक्त धनराशि का उपयोग जनपद/मण्डल स्तरीय रेफिजरेटर मैकेनिक की मोबिलिटी हेतु भी किया जा सकता है।
- जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व अन्य जनपद स्तरीय चिकित्साधिकारियों के द्वारा पर्यवेक्षण किये गये सत्रों की संख्या एवं व्यय को मासिक एम०एफ०आर० में दर्शाया जाय।

सत्यापन योग्य संकेतक

- जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किये गये नियमित टीकाकरण सत्रों की संख्या (पर्यवेक्षक चेक लिस्ट के अनुसार)।
- दिवसवार मोबिलिटी में व्यय की गयी धनराशि (पी०ओ०एल० अथवा किराये का वाहन)।

C.1.d Budget for Quarterly review meetings exclusive for RI at district level with Block MOs, CDPO, and other stake holders:-

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियमित टीकाकरण की 4 समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु भारत सरकार की वर्ष 2017–18 की आरोगोपी० में ₹ 100/- प्रतिभागी प्रति बैठक की दर से वित्तीय स्थीकृति प्रदान की गयी है। इन समीक्षा बैठकों में 5 अधिकारी/कर्मचारी प्रति ब्लाक प्रतिभाग करेंगे जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई०सी०सी०/आई०ओ० तथा ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भाग लेंगे। नियमित टीकाकरण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

सत्यापन योग्य संकेतक

- समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त एवं तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही।
- जिला अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त बैठकों की तारीख, बैठक की कार्यवृत्त तथा कृत कार्यवाही का महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एस०पी०एम०य०, एन०आर०एच०एम० को भेजी जायेगी, जिसे भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

C.1.e Budget for Quarterly review meetings exclusive for RI at block level:-

ब्लाक स्तर पर ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आशाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों में ₹ 50/- प्रतिभागी (आशा) को यात्रा हेतु मानदेय दिया जायेगा एवं ₹ 25/- प्रतिभागियों की दर से ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी को बैठक में आने वाले खर्चों जैसे चाय-पानी, स्टेशनरी, विविध खर्चों हेतु रखा जायेगा।

इन समीक्षा बैठकों में ₹०००००५० को भी बुलाया जायेगा, साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्लाक आई०सी०सी०/आई०ओ०, ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं आई०सी०डी०एस० पर्यवेक्षकों आदि को भी बुलाया जा सकता है, किन्तु यात्रा हेतु मानदेय केवल आशा को ही दिया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त।
- समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजी जायेगी।
- मुख्य चिकित्साधिकारी प्रत्येक ब्लाक की बैठकों की तारीख, बैठक की कार्यवृत्त तथा कृत कार्यवाही को महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को भेजेंगे, जिसे भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

C.1.f Budget for Focus on slum and under served areas in Urban areas/alternative vaccinator for slums.

राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नियमित टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के तीन जनपदों (कानपुर नगर, मेरठ एवं बहराइच) में शहरी क्षेत्रों एवं चिन्हित कस्बों के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में ₹०००००५० द्वारा टीकाकरण करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गई है। मलिन बस्तियों में 10,000 की जनसंख्या पर माह में 4 सत्र (2500 की जनसंख्या पर 1 सत्र) आयोजित किये जाने हैं। जिन मलिन एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में ₹०००००५० द्वारा टीकाकरण सत्र आच्छादित नहीं है उन क्षेत्रों हेतु **Hired Vaccinators** का चयन जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।

प्रत्येक सत्र हेतु ₹५००/- (वैक्सीनेटर मानदेय ₹५००/- प्रति सत्र) देय होगा। साथ ही 300 प्रतिमाह कन्टीजेन्सी हेतु प्रति मलिन बस्ती (10000 की जनसंख्या) पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार ₹१०००/- प्रतिमाह प्रति मलिन बस्ती की दर से धनराशि व्यय की जायेगी। Hired Vaccinators का चयन जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा। Hired Vaccinators गैर सरकारी/रिटायर्ड ₹०००००५०, एल०एच०वी०, स्टाफ नर्स एवं फार्मसिस्ट तथा शहरी क्षेत्रों में चिन्हित नर्सिंग स्कूल की फाईनल वर्ष की प्रशिक्षित छात्राये हो सकते हैं।

टीकाकरण सत्र कराने से पहले Hired Vaccinators का प्रशिक्षण शहरीय क्षेत्र के डी टाइप/अरबन फैमिली वेलफेयर सेन्टर/अरबन हेल्थ पोस्ट पर नियमित रूप से चल रहे सत्रों पर चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक महीने तक वास्तविक प्रशिक्षण दिलाने के पश्चात् ही फील्ड में टीकाकरण कार्य हेतु भेजा जाये। टीकाकरण सत्र का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रहेगा।

शहरी मलिन बस्तियों में टीकाकरण सत्र ऐसे स्थानों पर आयोजित किये जाये जहां पर घनी आबादी हो तथा अधिक से अधिक लाभार्थी टीकाकरण करा सकें। मलिन बस्तियों/अति पिछड़े क्षेत्रों की सूची डूड़ा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। टीकाकरण सत्रों का आयोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों/डूड़ा सेन्टरों/प्राथमिक विद्यालयों पर ही किया जाये। Hired Vaccinators का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- शहरी मलिन बस्तियों में माह में नियोजित एवं आयोजित सत्रों की संख्या एवं लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण की उपलब्धि।
- Hired Vaccinators का बायोडाटा तथा अनुबन्ध की प्रति।
- Hired Vaccinators द्वारा किये गये सत्रों की संख्या एवं मानदेय भुगतान का विवरण।

C.1.g Budget for Mobilization of children through ASHA or other mobilizers:- भारत सरकार की आर०ओ०पी० 2017–18 में इस मद में कोई भी धनराशि की स्वीकृति नहीं की गई है। वी०एच०एन०डी० सत्रों पर लाभार्थियों को मोबिलाइजेशन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि मद संख्या B1.1.3.6.1 में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा।

प्रत्येक आशा द्वारा अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का सर्वे कर आशा ड्रैकिंग बुकलेट में भरा जायेगा तथा सूची को ₹०००००५० द्वारा 'मातृ एवं बाल स्वास्थ्य रजिस्टर' में अधुनान्त किया जायेगा। टीकाकरण सत्र के दौरान आशा समस्त पात्र लाभार्थियों की सूची (डियू लिस्ट) के अनुसार टीकाकरण सत्र स्थल पर लाकर ₹०००००५० द्वारा टीकाकरण करायेगी। ₹०००००५० द्वारा टेलीशीट में लाभार्थियों का पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा तथा ₹०००००५० सत्र समाप्ति पर अगले सत्र के पात्र लाभार्थियों एवं छूटे हुये लाभार्थियों की सूची आशा को देगी। आशा इस सूची में नये लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु) को सम्मिलित करेगी। यह सूची अगले सत्र के लिए डिलिस्ट होगी। सत्र समाप्ति पर ₹०००००५० द्वारा आशा के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर आशा पेमेन्ट वाउचर को 3 प्रतियों में भर कर सत्यापित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आशा को, एक प्रति प्रभारी

चिकित्साधिकारी को तथा एक प्रति स्वयं ए०एन०एम० अपने पास रखेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा पेमेन्ट वाउचर के अनुसार सत्रों की संख्या को ब्लाक आशा पेमेन्ट रजिस्टर में भरा जायेगा तथा माह के अन्त में आशा का भुगतान ई-ट्रान्सफर द्वारा आशा के बैंक खाते में किया जायेगा। प्रत्येक आशा अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए जिम्मेदार होगी ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर आशा तैनात नहीं है, उस क्षेत्र के लिए प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा निकट क्षेत्र की आशा को कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

C.1.h Budget for Alternative vaccine delivery in hard to reach areas:-

वर्ष 2017-18 में कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों (पहाड़ी / जंगल (वन क्षेत्र) / बिना पुल वाली नदी के पार वाले क्षेत्र, गैर मोटर बाइक सड़क) एवं अंतिम कोल्ड चेन प्लाइंट से एक घंटे से अधिक पहुंच वाले क्षेत्र इत्यादि में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 150/- प्रति टीकाकरण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त राशि का उपयोग टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु वाहन द्वारा भी किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए एक रूट पर पड़ने वाले 10 सत्रों की वैक्सीन एक साथ मिला कर अर्थात् 1500 रु० प्रति वाहन)

C.1.i Budget for Alternative Vaccine Delivery in other areas:-

वर्ष 2017-18 में जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 75/- प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। उक्त राशि का उपयोग टीकाकरण स्थल तक वैक्सीन पहुंचाने हेतु वाहन द्वारा भी किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए एक रूट पर पड़ने वाले 4 सत्रों की वैक्सीन एक साथ मिला कर अर्थात् 300 रु० प्रति दोपहिया वाहन)

सत्र स्थल पर वैक्सीन समय से पूर्व पहुंचायी जायेगी जिससे कि सत्र समय से प्रारम्भ हो सके। सत्र समाप्ति के पश्चात् उसी व्यक्ति द्वारा वैक्सीन कैरियर को उसी दिन इकाई पर वापस लाया जायेगा। वैक्सीन दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन से पहुंचायी जा सकती है। वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नम्बर, वैक्सीन पहुंचाने का क्षेत्र इत्यादि कार्ययोजना में अंकित किया जाय। वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति को माह के अन्त में सत्रों के हिसाब से भुगतान एकाउंट पेर्ई चेक के माध्यम से अथवा ई-ट्रान्सफर द्वारा किया जायेगा।

सत्यापन योग्य संकेतक

- कार्ययोजना के अनुसार नियोजित / आयोजित सत्रों की संख्या।
- टीकाकरण सत्रों की संख्या जिसमें वैक्सीन पहुंचायी गयी (ब्लाक स्तर पर रजिस्टर में यह सूचना अंकित की जायेगी।)
- ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा वैक्सीन पहुंचाने वाले व्यक्ति से आकस्मिक फोन पर बात करके सत्यापित किया जायेगा।

C.1.j Budget To develop microplan at sub-centre level:-

वर्ष 2017-18 में नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए 100/- प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु किया जायेगा।

C.1.k Budget For consolidation of micro plans at block level:-

वर्ष 2017-18 में माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अद्युनान्तीकरण करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक / पी०एच०सी० हेतु रु० 1000/- की दर से एवं प्रति जनपद रु० 2000/- धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा।

C.1.l Budget for POL for vaccine delivery from State to district and from district to PHC/CHCs:-

वर्ष 2017-18 में राज्य मुख्यालय / रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रु० 1,50,000/- प्रति जनपद की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग वैक्सीन ले जाने में पी०ओ०एल० की व्यवस्था में किया जाना है। वैक्सीन वाहन की लॉगबुक का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मासिक सत्यापन किया जायेगा।

C.1.m Budget for Consumables for computer including provision for internet access:-

वर्ष 2017-18 में जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु 400/- प्रति माह की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है।

C.1.n Budget for Red/Black Plastic Bags etc:-

वर्ष 2017-18 में लाल एवं काले प्लास्टिक बैग का उपयोग टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु किया जायेगा। इस मद में लाल / काले रंग की पालिथिन प्लास्टिक बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रु० 3/-प्रति प्लास्टिक बैग प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। धनराशि का उपयोग नियमानुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना है।

C.1.o. Budget for Hub Cuttter/Bleach/Hypo Chlorite solution/Twin Buckets:-

वर्ष 2017-18 में हब कटर/हाइपो क्लोराइट सेल्पूशन खरीदने हेतु ₹ 1200 प्रति पी०एच०सी०/सी०एच०सी० प्रति वर्ष की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उपर्युक्त सामग्री का क्रय नियमानुसार किया जाय।

C.1.p Budget for Safety Pits :

वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य इकाई पर टीकाकरण वेस्ट (हब कटर द्वारा काटी गयी निडिल एवं टूटी हुई वायल को विसंक्रमित करने उपरान्त) के लिये Safety pits में डाला जाना है। Safety Pits के निर्माण हेतु ₹ 5250/- प्रति पिट की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति दी गयी है। धनराशि का उपयोग एम०ओ० ट्रेनिंग माड्यूल में दिये गये मानक के आधार पर प्रत्येक कोल्ड चेन प्वाइन्ट्स पर आवश्यकतानुसार सेफ्टी पिट के निर्माण में किया जायेगा। निर्माण किये गये Safety Pits का ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

C.1.q. Budget for State Specific Requirement:-

C.1.q.1 Funds for Annual maintenance Operations for WIC/WIF at State & Division level:-

प्रदेश में स्थापित 43 वाक् इन कूलर/वाक् इन फ्रीजर के Annual maintenance operation हेतु राज्य स्तर एवं मण्डलीय स्तर पर ₹ 40000/- प्रति इकाई की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग डब्लू०आई०सी०/डब्लू०आई०एफ० के वार्षिक मैटीनेंस हेतु नियमानुसार किया जायेगा तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से उक्त मशीनों की रिपेयरिंग करायी जा सकती है। जो मशीने अभी वारंटी के अन्दर हैं, उनकी maintenance सप्लायर द्वारा करायी जाय।

C.1.q.2 Funds for Electricity bill for WIC/WIF at state and division level:-

राज्य एवं मण्डल में स्थापित 43 वाक्-इन कूलर/वाक्-इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु ₹ 1,00,000/- प्रति डब्लू०आई०सी०/डब्लू०आई०एफ० प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग उन्हीं स्थानों के लिये किया जाये जहाँ पर वाक्-इन कूलर/वाक्-इन फ्रीजर हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन/मीटर है।

सत्यापन योग्य संकेतक

- वाक्-इन कूलर/वाक्-इन फ्रीजर का विद्युत कनेक्शन
- विद्युत बिल भुगतान किये गये बिलों के प्रति।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर सत्यापन किया जाय।

C.1.q.3 Funds for POL for generators & operational expenses at divisional vaccine storage and state vaccine store:-

वर्ष 2017-18 में भारत सरकार की आर०ओ०पी० में मण्डलीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु ₹ 2,00,000/- प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग जनरेटर हेतु पी०ओ०एल० एवं बैटरी हेतु तथा वैक्सीन को मण्डल से रीजनल डिपो तक लाने हेतु पी०ओ०एल० मद में उपयोग किया जा सकता है।

सत्यापन योग्य संकेतक

- मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में विद्युत रोस्टर की प्रति।
- जनरेटर लॉग बुक में प्रतिदिन विद्युत कटौती अंकित की जानी है।
- पेट्रोल पम्प द्वारा दी गई डीजल क्रय की रसीद।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर जनरेटर लॉग बुक का सत्यापन किया जाये।

C.1.q.4 Funds for POL for generators & operational expenses at district level vaccine storage points and other cold chain points:-

वर्ष 2017-18 में भारत सरकार की आर०ओ०पी० में जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु ₹ 1,20,000/- प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराशि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी०ओ०एल० एवं बैटरी हेतु पी०ओ०एल० मद में उपयोग किया जा सकता है।

सत्यापन योग्य संकेतक

- मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में विद्युत रोस्टर की प्रति।
- जनरेटर लॉग बुक में प्रतिदिन विद्युत कटौती अंकित की जानी है।
- पेट्रोल पम्प द्वारा दी गई डीजल क्रय की रसीद।
- जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर जनरेटर लॉग बुक का सत्यापन किया जाये।

C.1.q.5 Funds for AEFI (Adverse Effect following Immunization) Drug Kit:-

बच्चों में टीकाकरण के पश्चात् प्रतिकूल घटना के समुचित उपचार हेतु प्रत्येक जनपद एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों को AEFI Drug Kit उपलब्ध करायी गयी है। उन्हीं AEFI Drug Kit में आवश्यकतानुसार Drug Replace (मेडिकल ऑफीसर मॅड्यूल में दी गयी लिस्ट के अनुसार) करने के लिये तथा जिन Facilities में AEFI Drug Kit उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, केवल वहीं के लिये AEFI Drug Kit खरीदने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। AEFI Drug Kit हेतु आवश्यक औषधियां जनपद स्तर पर नियमानुसार अनुबन्ध दरों पर क्रय कर चिकित्साधिकारियों को वितरित की जायेगी। इस मद में ₹ 200/- प्रति किट की दर से कुल 5000 किट हेतु ₹ 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह धनराशि राज्य स्तर पर रखी गयी है। जिसे आवश्यकतानुसार जनपदों को वितरित किया जायेगा।

C.1.r Funds for Teeka Express:-

जनपद श्रावस्ती हेतु वर्ष 2017-18 में ₹ 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के सफल संचालन हेतु स्वीकृत की गयी है। टीका एक्सप्रेस के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं।

C.1.t Funds for JE Campaign Operational Cost:-

वर्ष 2017-18 में जे०ई० टीकाकरण अभियान के लिये भारत सरकार द्वारा ₹ 210.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। यह धनराशि राज्य स्तर पर रखी गयी है। जिसे आवश्यकतानुसार जनपदों को वितरित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से प्रेषित किए जाएंगे।

C.2.2 Budget for Computer Assistants support for District level Honorarium:-

प्रत्येक जनपद में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में संविदा पर तैनात नियमित टीकाकरण कम्प्यूटर सहायक के मानदेय हेतु ₹ 12,127/- प्रति माह की दर से कुल 12 माह हेतु मानदेय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। नियमित टीकाकरण कम्प्यूटर सहायकों के पुनर्अनुबन्ध हेतु पूर्व में दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं, यदि किसी जिले में पद रिक्त हो तो जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त निर्देशों के अनुरूप संविदा पर तत्काल तैनाती कर लें। प्रत्येक कम्प्यूटर सहायक के कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाय तथा निर्धारित प्रपत्र पर मूल्यांकन रिपोर्ट एस०पी०एम०य००, एन०आर०एच०एम० के आर०आई० अनुभाग में भेजी जाय। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी है कि प्रत्येक जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी कम्प्यूटर सहायक के कुल स्वीकृत पद, भरे हुये पद तथा रिक्तियों की सूचना तत्काल महानिदेशक परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम० को भेजें ताकि सूचना भारत सरकार को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

C.3. Budget for Training Under Immunization:-

(1) District level Orientation training including Hep B, Measles & JE(wherever required) for 2 days ANM, Multi Purpose Health Worker (Male), LHV, Health Assistant

इस वर्ष सभी जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमित टीकाकरण पर जिसमें हेपेटाइटिस बी, खसरा तथा जे०ई० वैक्सीन पर भी जानकारी दी जानी है, हेतु ₹ 46200/- प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गयी है।

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में 20 प्रतिभागियों (अधिकतम) को वर्ष 17-18 में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित चार प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रतिभागियों में ए०ए०ए०ए०, एम०पी०डब्लू०(पु०), एल०एच०वी०, हेल्थ असिस्टेंट (म०/पु०), नर्स, मिडवाईफ, शहरी क्षेत्र के हायर्ड वैक्सीनेटर को सम्मिलित किया जाना है। जनपदों को इस मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त भैतिक प्रगति राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने के बाद अवमुक्त की जायेगी तथा प्रशिक्षण के लिये प्रथक से निर्देश दिये जायेगे।

यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है—

मद	दर (₹०)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु per diem	300 / दिवस	20	2	₹० 12000
प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600 / दिवस	4	2	₹० 4800
प्रतिभागियों हेतु टी०ए० वास्तविक आधार पर	400	20	1	₹० 8000
जिला स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी०ए० वास्तविक आधार पर	800	4	1	₹० 3200
भोजन व्यवस्था- तीन बार प्रतिदिन	250	24	2	₹० 12000
कंटीजेंसी	100	20	1	₹० 2000
इंस्टट्यूशनल ओवर हेड / वेन्यू अरेन्जमेण्ट				₹० 4200
कुल योग प्रति बैच				₹० 46200

(2) Three day training including Hep B, Measles & JE (wherever required) of Medical Officers of RI using revised MO training module:-

चिकित्सा अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के 11 क्रियाशील मंडलीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों (आर0एफ0टी0सी0) पर आयोजित किया जायेगा तथा इसके लिए ₹0 99200/- प्रति प्रशिक्षण सत्र की दर से वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। यह 11 मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं—आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झारंगी, कानपुर नगर, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

उक्त धनराशि ₹0 99200 के माध्यम से प्रधानाचार्य, आर0एफ0टी0सी0 को निर्गत की जायेगी तथा सभी आर0एफ0टी0सी0 के प्रधानाचार्य उक्त प्रशिक्षण कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं तथा सभी यह प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें। मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु ₹0 40 उन्हीं प्रशिक्षकों को देय होगा जो मण्डल के अन्य किसी जनपद से प्रशिक्षण देने हेतु आएंगे।

प्रशिक्षण के लिये प्रथक से निर्देश दिये जायेंगे। राज्य स्तर पर डब्लू0एच0ओ0 के सहयोग से आर0एफ0टी0सी0 के जनपदों के चिकित्सा अधिकारियों की ₹0 40 टी0 कराई जायेगी। ₹0 40 टी0 में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से आर0एफ0टी0सी0 स्तर पर नये/ अप्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जायेगा जिसके निर्देश बाद में दिये जायेंगे।

मद	दर (₹0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु per diem	400 / दिवस	20	3	₹0 24000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600 / दिवस	4	3	₹0 7200
भोजन व्यवस्था— प्रतिदिन	250	24	3	₹0 18000
कंटीजेंसी	150	20	1	₹0 3000
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड				₹0 6000
प्रतिभागियों हेतु ₹0 40 (राज्य नियमों के अनुसार वास्तविक आधार पर)	1800	20	1	₹0 36,000
मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु ₹0 40 (राज्य नियमों के अनुसार वास्तविक आधार पर)	2000	1	1	₹0 2000
State observer honorarium	1000	1	1	₹0 1000
State observer Accommodation	2000	1	1	₹0 2000
कुल योग प्रति बैच ₹0 99200/-				

(3) Two days cold chain handlers training for block level cold chain hadlers by State and district cold chain officers:-—इस वर्ष समस्त कोल्ड चेन हैण्डलर की जनपद स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय अनुमति प्रदान की गयी है। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा समस्त कोल्ड चेन हैण्डलरों को प्रशिक्षित किया जायेगा। (20 प्रतिभागी प्रति बैच)

मद	दर (₹0)	संख्या	कुल दिवस
प्रतिभागियों हेतु per diem	300 / दिवस	वास्तविक	2
प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600 / दिवस	2 / वास्तविक	2
प्रतिभागियों हेतु ₹0 40 (वास्तविक देय)	200	वास्तविक	1
भोजन व्यवस्था— तीन बार प्रतिदिन	250 / दिवस	वास्तविक	2
कंटीजेंसी	100 /—प्रति प्रतिभागी	वास्तविक	1
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड/वेन्यू अरेन्जमेण्ट	4000		1

जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को यूनीसेफ के सहयोग से ₹0 40 टी0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। ₹0 40 पूर्ण होने के उपरान्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी अपने जनपद में प्रशिक्षण करायेंगे जिसकी सूचना प्रशिक्षण पूर्व राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी को देनी होगी।

(4) One day training of block level data handlers by DIOs and District cold chain officer

सभी जनपदों में समस्त डाटा हैंडलर हेतु नियमित टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग पर एक दिवसीय प्रशिक्षण किया जाना है। यह प्रशिक्षण जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी तथा जिला कोल्ड चेन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

इन प्रशिक्षणों हेतु धनराशि रु० 500/- प्रति प्रतिभागी के आधार पर है।

C.4. Budget for Cold chain maintenance:- इस मद में प्रत्येक जनपद को रु० 15000/- प्रति जनपद प्रति वर्ष तथा रु० 750/- प्रति वी०एच०सी०/सी०एच०सी० कुल 1154 इकाईयों हेतु प्रति वर्ष की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि को जनपद पर पूल करते हुये जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के राय एवं आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाये।

C.5 Budget for ASHA Incentive for full immunization: इस मद में ०-१ वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन लगवाने हेतु आशा को रु० 100/- प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की दर तथा रु० 50/- प्रति बच्चे को दो वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित टीका/बूस्टर इत्यादि लगवाने पर अतिरिक्त देय होगा। इस मद में कुल रु० 150/- प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

C.6 Budget for Pulse Polio Operating Cost:-

भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण के चक्रों हेतु (Tentative) धनराशि स्वीकृत की गई है। समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एस०एन०आई०डी० एवं एन०आई०डी० अभियान हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जाएगी।

C.7 Other Activities:-

C.7.i Budget for Cold chain handlers incentive:- प्रदेश में कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन के रख-रखाव एवं वितरण के लिये कोल्ड चेन हैंडलर्स की व्यवस्था पूर्व में स्माल-पोक्स सुपरवाईजर के द्वारा देखी जा रही थी। स्माल-पोक्स सुपरवाईजर के सेवा निवृत्त होने के उपरान्त यह कार्य तदर्थ रूप से पुरुष पर्यवेक्षक/कार्यकर्ता/एल.एच.वी./ए०एन०एम० के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। जिनके द्वारा अपने निर्धारित कार्यों के साथ-साथ कोल्ड चैन प्रबन्धन से सम्बन्धित अन्य कार्य भी सम्पादित किए जाते हैं। वर्तमान समय में नये-नये वैक्सीन के प्रतिरक्षण कार्यक्रम में जुड़ने के कारण, औपन वायल्स पोलिसी तथा ए०ई०एफ०आई० के दृष्टिगत टीकाकरण कार्यक्रम अब अधिक आधुनिक एवं संवेदनशील हो गया है। अतः ऐसे कोल्ड चैन हैंडलर्स के लिए कोल्ड चैन से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 की आर०ओ०पी० में कोल्ड चैन हैंडलर इंसेन्टिव धनराशि स्वीकृत की गई है।

C.7.ii -Support for 55 poor performing Blocks:- 55 खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों के लिये वाहन एवं हायर्ड वैक्सीनेटर हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

C.7.iii- जनपद-गौतम बुद्ध नगर हेतु एच०आर०जी० कान्स्ट्रक्शन साइटों पर टीकाकरण कराने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

C.7.iv- जनपद-गाजियाबाद हेतु निर्माणधीन क्षेत्र तथा ईंट भट्ठों इत्यादि हेतु टीकाकरण दलों क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए वाहन हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

B.10.7.4.10 Budget for Printing and dissemination of tally sheets Monitoring forms etc:-

मद में वर्ष 2017-18 के लिये भारत सरकार की आर०ओ०पी में रु० 10/- प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत आशा पेमेन्ट वाउचर, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग प्रपत्र, टेलीशीट, कोल्ड चेन प्लाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टिकलर बैग, आशा ट्रेकिंग बुकलेट, औपन वाइल मार्किंग हेतु सी०डी० मार्कर पैन इत्यादि की उपलब्धता करायी जाय। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से की जाय। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की प्रिन्टिंग हेतु मातृ-स्वास्थ्य से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। स्वीकृत धनराशि से जनपद स्तर पर प्रिन्टिंग सामग्री तथा प्रपत्रों का वास्तविक आंकलन करते हुये प्रिन्टिंग करा कर समस्त स्वास्थ्य इकाईयों को उपलब्ध करा दें। इस धनराशि से निम्न सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग करायी जानी है:-

- **टैली शीट-** टैली शीट के प्रारूप को वी०एच०एन०डी० प्रारूपों के साथ समाहित किया गया है तथा महाप्रबन्धक कम्युनिटी प्रोसिस द्वारा इस हेतु धनराशि भी अवमुक्त की जा चुकी है। टैली शीट के प्रारूप को वी०एच०एन०डी० सत्रों में ए०एन०एम० द्वारा उपयोग किया जायेगा इसके लिये संसोधित टैलीशीट का प्रारूप भेजा जा चुका है। सत्र पर आये लाभार्थियों को टीकाकृत करने के पश्चात् टैलीशीट में विवरण भरा जायेगा। सत्र समाप्ति पर ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा छूटे हुये लाभार्थियों, अगले सत्र हेतु पात्र लाभार्थियों तथा नये

लाभार्थियों की सूची (ड्यूलिस्ट) तैयार की जायेगी। आशा अगले सत्र में ड्यूलिस्ट के अनुसार लाभार्थियों को सत्र पर लाकर टीकाकरण करायेगी। टैली शीट प्रति टीकाकरण सत्र की दर से प्रिंट करायी जाय।

- **आशा पेमेन्ट वाउचर—** आशा पेमेन्ट वाउचर की बुकलेट (एक बुकलेट में 150 पेज—50 आशा पेमेन्ट वाउचर 3 प्रतियों में) की प्रिंटिंग कराकर प्रत्येक ₹०५०० को 2 बुकलेट उपलब्ध करायी जाय। यदि टीकाकरण सत्र पर आशा उपलब्ध है एवं उसके द्वारा लाभार्थियों को बुलाकर टीकाकरण कराया जा रहा है तो ₹०५०० के समाप्ति पर आशा पेमेन्ट वाउचर को तीन प्रतियों में भरकर सत्यापित कर एक प्रति आशा को, एक प्रति प्रभारी चिकित्साधिकारी को तथा एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगी।

स्पेसिफिकेशन:

साइज	— 28.5 सेमी x 10 सेमी
कागज	— 60 जी०५००५० सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या	— (एक बुकलेट में 150 पेज— 50 आशा पेमेन्ट वाउचर 3 प्रतियों में)
बाइडिंग	— बुकलेट (प्रतियां 3 कलर में)
डिजाइन	— संलग्न नमूने के अनुसार

- **पर्यवेक्षण चेकलिस्ट—** जनपद में वर्ष 2017–18 हेतु नियोजित टीकाकरण सत्रों के 10 प्रतिशत का अंकलन करते हुये पर्यवेक्षण प्रपत्रों की प्रिंटिंग की जाय। इन प्रपत्रों का समस्त जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्साधिकारियों एवं अन्य पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण के समय उपयोग किया जायेगा।

स्पेसिफिकेशन:

साइज	— 21.7.5 सेमी x 27.7 सेमी
कागज	— 60 जी०५००५० सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या	— 1 (छपाई दोनों तरफ)
डिजाइन	— संलग्न नमूने के अनुसार

- **रिपोर्टिंग प्रपत्र—** रिपोर्टिंग प्रपत्रों का निम्न प्रकार हैः—

उपकेन्द्र रिपोर्टिंग प्रपत्र	— कुल उपकेन्द्र X 12 माह X 2 प्रति
ब्लाक रिपोर्टिंग प्रपत्र	— कुल ब्लाक X 12 माह X 2 प्रति
जनपद रिपोर्टिंग प्रपत्र	— 12 माह X 2 प्रति

स्पेसिफिकेशन :

साइज	— 21.7 सेमी x 27.7 सेमी
कागज	— 60 जी०५००५० सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या	— 2 (छपाई दोनों तरफ)
डिजाइन	— संलग्न नमूने के अनुसार

- **आशा ट्रेकिंग बुकलेट—** प्रत्येक आशा द्वारा अपने क्षेत्र के समरत भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं एवं दो वर्ष तक की आयु की बच्चों की सूची बनाकर उनकी टीकाकरण की स्थिति अंकित की जाएगी। आशा द्वारा अप्रतिरक्षित/अर्द्धप्रतिरक्षित लाभार्थियों की ड्यूलिस्ट बनाकर टीकाकरण सत्र पर लाभार्थियों को मोबिलाइज किया जाएगा। सत्र के उपरान्त ASHA अपनी ट्रेकिंग बुकलेट को अधुनान्त कर अगले सत्र में ड्यूलिस्ट के अनुसार लाभार्थियों को सत्र पर लाकर टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करेंगी।

स्पेसिफिकेशन :

साइज	— लीगल साइज पेपर
कागज	— 60 जी०५००५० सेन्चुरी
पृष्ठों की संख्या	— 1 (छपाई दो तरफ)
डिजाइन	— नमूने के अनुसार
बाइडिंग	— बुकलेट

आशा ट्रेकिंग बुकलेट प्रति आशा एक की दर से प्रिंट करायी जाय।

सत्यापन योग्य संकेतक

- जनपद स्तर पर प्रिन्ट कराये प्रत्येक प्रपत्र की एक प्रति
- Stock Register (Entry and Distribution)
- टेण्डर / कोटेशन से सम्बन्धित रिकार्ड
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / ब्लाक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रिन्टिंग की गयी सामग्री का स्वास्थ्य इकाई में उपलब्ध स्टाक रजिस्टर में अंकित प्रिन्टिंग सामग्री का सत्यापन किया जायेगा। सत्र पर्यवेक्षण के दौरान प्रिन्टिंग करायी गयी सामग्री का सत्यापन किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण की आख्या में प्रिन्टिंग सामग्री का भी उल्लेख किया जायेगा।

तदनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि से समस्त गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें। वित्तीय अनियमिततायें न होने पाये इसके लिये धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये "State Financial Manual" के अनुसार वित्तीय प्रबन्धन कार्यान्वयित किया जाय तथा धनराशि का किसी भी प्रकार का व्यावर्तन (Diversion) न किया जाय।

जिस हेड में धनराशि डी०एच०एस० से संबंधित आर०एफ०पी०टी०सी० या मंडल को निर्गत की जानी है वह समय से निर्गत की जाये, जिससे प्रशिक्षण कार्य बाधित न हो।

धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के उपरान्त व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाय।

व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखा बहियाँ, बिल बाउचर व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकर की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,


(डा० नीना गुप्ता)

महानिदेशक,

परिवार कल्याण।

पत्रांक:- अ०नि०/य०आई०पी०/आर.आई./2017-18/13191-223 दिनांकित-

- 1 उपायुक्त, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 2 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 4 अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7 निदेशक, मा०शि०क, परिवार कल्याण महानिदेशालय।
- 8 निदेशक, आई०सी०डी०एस०, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 9 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 10 समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11 समस्त मण्डलीय / जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 12 समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, एन०एच०एच०, एस०पी०एम०य००, लखनऊ।
- 13 महाप्रबन्धक एम०आई०एस०, एन०एच०एम० को इस आशय के साथ प्रेषित कि आर०आई० की गाइड लाइन को एन०एच०एम० की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 14 समस्त सहयोगी संस्थायें, उ०प्र०, लखनऊ। (डब्लू०एच०ओ०, यूनीसेफ, रोटरी, कोर, य०एन०डी०पी०, टी०एस०य००, आई०टी०एस०य००)।


(ए०पी० चतुर्वेदी)

राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी।